भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3106

दिनांक 15 **मार्च**, 2021

गैस/रसायन लीक होने की घटनाएं

3106. **कुंवर दानिश अली**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हानिकारक गैस और रसायन के रिसाव होने की जिन घटनाओं का पता चला है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त त्रास्दियों से कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क) विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य फैक्टरी निरीक्षक (सीआईएफ) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) रासायनिक दुर्घटनाओं संबंधी डेटा समेकित करता है। पिछले पाँच वर्षों (दिसंबर 2020 तक) की राज्यवार दुर्घटना संबंधी जानकारी नीचे दी गई है -

राज्य	दुर्घटनाओं की सं.	घायल व्यक्तियों की सं.	मृत व्यक्तियों की सं.
आन्ध्र प्रदेश	3	2	18
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	-	-
असम	24	11	5
बिहार	1	-	1
चंडीगढ़	शून्य	-	-
छत्तीसगढ़	1	1	-

दमन एवं दीव	शून्य	-	-
दादरा एवं नागर हवेली	शून्य	-	-
दिल्ली	5	476	4
गोवा	शून्य	-	-
गुजरात	117	173	166
हरियाणा	1	-	-
हिमाचल प्रदेश	1	3	-
जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	शून्य	-	-
झारखंड	7	53	-
कर्नाटक	शून्य	-	-
केरल	2	9	5
लक्षद्वीप	शून्य	-	-
मध्य प्रदेश	2	4	-
महाराष्ट्र	38	199	24
मणिपुर	शून्य	-	-
मेघालय	शून्य	-	-
मिजोरम	शून्य	-	-
नगालैंड	शून्य	-	-
ओडिशा	5	9	3
पुदुच्चेरी	शून्य	-	-
पंजाब	1	100	6
राजस्थान	10	26	22
सिक्किम	शून्य	-	-
तमिलनाडु	3	23	15
तेलंगाना	105	254	131
त्रिपुरा	शून्य	-	-
उत्तर प्रदेश	15	234	18
उत्तराखंड	4	-	-
पश्चिम बंगाल	5	8	6
योग	350	1585	424

(ख) रसायनिक दुर्घटनाओं से निपटने और पीड़ितों को राहत पहुँचाने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार (सरकारों)/ संघ शासित राज्य प्रशासन (प्रशासनों) की होती है। तथापि, लोक देयता बीमा (पीएलआई) अ धनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत किसी खतरनाक पदार्थ को हैंडल करते हुए और उससे सम्बद्ध मामलों अथवा उससे जुड़ी दुर्घटनाओं से प्रभावित हुए व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए केन् सरकार ने वर्ष 2008 में एक पर्यावरण राहत नि ध (ईआरएफ) की स्थापना की थी। प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि को भी पीएलआई अ धनियम, 1991 की अनुसूची के भाग के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रा धकरण (एनडीएमए) ने अप्रैल, 2007 में रसायनिक आपदा (औद्यो गक) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न हिस्सेदारों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है। एनडीएमए ने हिस्सेदारों, जिनमें रसायनिक (औद्यो गक) सहित विभिन्न खतरनाक क्षेत्रों के आपदा जोखिम प्रबंधन में शामिल राज्य सरकारों की सहायता के लिए मई, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी जारी की है। इस योजना में एक फ्रेमवर्क और आपदा प्रबंधन अर्थात निवारण, शमन, प्रति या और स्थिति के सामान्य होने के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को निर्देशित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, एमओईएफसीसी ने पर्यावरण (संरक्षण) अ धनियम 1986 के प्रावधानों के तहत खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और निर्यात नियमावली, 1989 (एमएसआईएचसी नियमावली, 1989) तथा रसायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रति या) नियमावली, 1996 को भी अधिसूचित किया है। औद्यो गक गतिवि धयों से होने वाली रसायनिक दुर्घटनाओं को रोकने, उससे जुड़े प्रभाव को कम करने और केन् , राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर चार स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली को सांवि धक व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से इन नियमों को अधिसूचित किया गया है। औद्यो गक प्रतिष्ठानों तथा फैक्टरी अ धनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए पृथक भंडारणों, जो खतरनाक रसायनों और अंतर्राज्यीय पाइपलाइनों सहित पाइपलाइनों से संबंधित होते हैं, से संबंधित निर्देशों और प्र याओं को लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य फैक्टरी निरीक्षक (सीआईएफस) (फैक्टरी अ धनियम, 1948 के तहत नियुक्त) नोडल एजेंसी होते हैं। इसी प्रकार, पेट्रोलियम एंड एक्स लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाईजेशन (पीईएसओ) को औद्यो गक प्रतिष्ठानों और पृथक भंडारणों के स्थलों को अनुमोदित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

*****